GOVERNMENT OF INDIA (भारत सरकार)
MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय)
RAILWAY BOARD) (रेलवे बोर्ड)

No. 2023/TG-I/14/07 **New Delhi, dated 23.07.2025**

Office Order No. 47 of 2025

Comprehensive instructions laying down the procedure for submission of request for release of accommodation out of emergency quota were issued vide Office Order No. 40 of 2009 dated 25.05.2009 and reiterated vide office Order No. 59 of 2011 dated 29.09.2011, No. 53 of 2012 dated 04.10.2012, No. 12 of 2015 dated 21.01.2015 and No. 63 of 2018 dated 18.07.2018.

2. The reservation Cell in Railway Board receives a large number of requests from VIPs, Railway Officers, Senior Officers and other Departments etc. All efforts are made to allot the quota judiciously and with common prudence. However, in view of revised chart timing issued vide CC no. 10 of 2025, the competent authority has decided that to ensure proper sorting and scrutiny the following procedure will be adopted:

i. Emergency quota request for all trains leaving between 0000 hours to 1400 hours should reach EQ Cell upto 1200 hours on the previous day of journey.

ii. Emergency Quota request for all the remaining trains leaving between 1401 hours and 2359 hours should reach EQ cell upto 1600 hours on the previous day of journey.

iii. Further, request received on the same day of the schedule departure of train will not be entertained.

iv. The requests for release of accommodation in trains, for which the Emergency Quota is to be released on Sundays or clubbed holidays after Sunday, should be given on the previous working day.

2.1 All officers are requested to adhere to these timings so that the allotments are given in time and chart preparation is not delayed which, not only results in extreme difficulties to the traveling public but can also lead to delay in departure of trains.

2.2 Further, forwarding authority shall ensure genuineness of person under reference and also ensure strict compliance to existing guidelines regarding allotment of Emergency Quota issued vide office order referred above and CC no. 10 of 2011.

2.3 It may also be ensured that all reservation requisition slips should contain the Name, Designation, and Phone/mobile number of the recommending authority and Name, Address, and Phone/mobile number of any one of the passengers.

3 Cooperation of all is solicited in this matter.

Digitally signed by
SANJAY MANOCHA
Date: 23-07-2025
15:49:01

(Sanjay Manocha)
Director/Passenger Marketing-II,
Phone No. 011-23047367
E-Mail ID- manocha.421sanjay@gov.in
Room No. 415-A, 4th Floor,
Railway Board

No. 2023/TG-I/14/07 **New Delhi, dated: 23.07.2025**

All Officers and Branches in Board's Office, COFMOW Building & at Dayabasti, New Delhi.

Copy for information to:
CRB&CEO, M(O&BD), M/T&RS, MI, MF.

Copy to:-
EDPG/MR, EDPG/MoSR(R), JDPG MoSR(S)

International Year of Cooperatives 2025 — Cooperatives Build a Better World

भारत सरकार/ GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/ MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड (RAILWAY BOARD)

International Year of Cooperatives 2025 — Cooperatives Build a Better World

सं. 2023/टीजी-1/14/07 नई दिल्ली, दिनांक 23.07.2025

2025 का कार्यालय आदेश सं. 47

आपातकालीन कोटे से एकोमोडेशन रिलीज़ करने के लिए अनुरोध प्रस्तुत करने की निर्धारित प्रक्रिया संबंधी व्यापक अनुदेश दिनांक 25.05.2009 को 2009 का कार्यालय आदेश संख्या 40 के तहत जारी किए गए थे और दिनांक 29.09.2011 को 2011 का कार्यालय आदेश संख्या 59, दिनांक 04.10.2012 को 2012 का कार्यालय आदेश संख्या 53, दिनांक 21.01.2015 को 2015 का कार्यालय आदेश संख्या 12 और दिनांक 18.07.2018 को 2018 का कार्यालय आदेश संख्या 63 के तहत दोहराए गए थे।

2. रेलवे बोर्ड के आरक्षण सेल को अति विशिष्ट व्यक्तियों, रेल अधिकारियों, वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य विभागों आदि से बड़ी संख्या में अनुरोध प्राप्त होते हैं। कोटा आवंटन सावधानीपूर्वक और विवेकपूर्ण ढंग से करने हेतु हर संभव प्रयास किए जाते हैं। हालांकि, 2025 के वाणिज्यिक परिपत्र संख्या 10 के तहत जारी संशोधित चार्ट समय को देखते हुए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिश्चय किया गया है कि उचित छंटाई और जांच सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:

i. 0000 बजे से 1400 बजे के बीच चलने वाली सभी रेलगाड़ियों के लिए आपातकालीन कोटा अनुरोध यात्रा के एक दिन पहले 1200 बजे तक आपातकालीन कोटा सेल तक पहुंच जाना चाहिए।

ii. 1401 बजे से 2359 बजे के बीच चलने वाली शेष सभी रेलगाड़ियों के लिए आपातकालीन कोटा अनुरोध यात्रा के एक दिन पहले 1600 बजे तक आपातकालीन कोटा सेल तक पहुंच जाना चाहिए।

iii. इसके अलावा, रेलगाड़ियों के निर्धारित प्रस्थान के दिन प्राप्त अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

iv. जिन रेलगाड़ियों में आपातकालीन कोटा रविवार या रविवार के बाद सम्मिलित छुट्टियों को जारी किया जाना है, उनमें एकोमोडेशन रिलीज़ करने के लिए अनुरोध पिछले कार्य दिवस को दिया जाना चाहिए।

2.1 सभी अधिकारियों से अनुरोध है कि वे इन समय-सीमाओं का पालन करें ताकि आबंटन समय पर दिया जा सके और चार्ट तैयार करने में देरी न हो, ताकि यात्रियों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, और न ही रेलगाड़ियों के प्रस्थान में देरी हो।

2.2 इसके अलावा, अग्रेषण प्राधिकारी संदर्भित व्यक्ति की वास्तविकता सुनिश्चित करें और ऊपर उल्लिखित कार्यालय आदेश और 2011 के वाणिज्यिक परिपत्र संख्या 10 के तहत जारी आपातकालीन कोटा के आबंटन के संबंध में मौजूदा दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

2.3 यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सभी आरक्षण मांग पर्चियों में सिफारिश करने वाले प्राधिकारी का नाम, पदनाम और फोन/मोबाइल नंबर तथा यात्रा करने वाले किसी एक यात्री का नाम, पता और फोन/मोबाइल नंबर अवश्य लिखा होना चाहिए।

3. इस मामले में सभी का सहयोग अपेक्षित है।

(संजय मनोचा)
निदेशक/यात्री विपणन-II,
फोन नंबर 011-23047367
ई-मेल आईडी- manocha.421sanjay@gov.in
कमरा संख्या 415-ए, चतुर्थ तल,
रेलवे बोर्ड

सं. 2023/टीजी-1/14/07 **नई दिल्ली, दिनांक: 23.07.2025**

बोर्ड कार्यालय, कॉफमो बिल्डिंग एवं दयाबस्ती, नई दिल्ली के सभी अधिकारी एवं शाखाएं।

प्रतिलिपि सूचनार्थः

अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रेलवे बोर्ड, सदस्य (परिचालन एवं व्यवसाय विकास), सदस्य /कर्षण एवं चल स्टॉक, सदस्य अवसंरचना, सदस्य वित्त

प्रतिलिपि प्रेषितः-

कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल मंत्री, कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/ रेल राज्य मंत्री (आर), संयुक्त निदेशक जन शिकायत रेल राज्य मंत्री (एस)